संख्या-46/2025/001-446-25-27-3099-261-2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2025

विषय:रिट याचिका संख्या-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-2336/2025 राना सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-351/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 30.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली से सम्बन्धित बदायूँ सिचाई परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर व अफलक्स बंध का निर्माण हेतु आपसी समझौते से ली गयी भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका सं0-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-2336/2025 राना सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 11,77,244.00 (रूपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौवालिस मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: बाढ़ खण्ड, बरेली से सम्बन्धित बदायूँ सिचाई परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर व अफलक्स बंध का निर्माण हेतु आपसी समझौते से ली गयी भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका सं0-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-2336/2025 राना सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 11,77,244.00 (रूपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौवालिस मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 11,77,244.00 (रूपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौवालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-19-050-10-16-24 पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, बरेली।
9- अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली।
10- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।